

employees after attaining the age of 60 or 62 years. Thereafter, vide impugned order dated 5.1.2018, petitioner has been retired from service, hence the present petition before this Court.

3. After notice, the respondents have filed the return by submitting that vide circular dated 3.5.2017, the General Administration Department (GAD) of the State Government has decided the age of superannuation of Class III & IV employees as 60 and 62 years respectively. Thereafter, vide letter dated 6.2.2018, the Engineer-in-chief Engineer, PHE has classified various posts of the department into Class III & IV categories for the purposes of retirement at the age of 60 and 62 years. Since the petitioner was engaged as Class III daily-rated employee, therefore, he has rightly been retired on attaining the age of 60 years, hence no interference is called for, and the petition is liable to be dismissed.

4. I have heard the learned counsel for the parties and perused the material available on record.

5. It is not in dispute that the petitioner was appointed as daily-rated employee. The apex Court in the case of **Ram Naresh Rawat V/s. Ashwini Ray & others : (2017) 3 SCC 436**, has held that the daily-rated employees classified as “permanent employee” would be entitled to pay-scale of permanent post from the dates specified in the award by the Labour Court, but the daily-rated employees appointed without following any selection procedure and their appointments were not against the regular vacancies, in normal circumstances, these persons, because of their long service and also on the assumption that they are discharging the same duties as discharged by the regular employees, can claim same salary which is being paid to regular

employees holding similar posts on principles of “equal pay for equal work”. The “permanent employee” has right to receive pay in the graded pay scale, at the same time but he would be getting only minimum of the said pay scale with no increments. It is not the regularisation in service which would entail grant of increments, etc. in the pay scale.

6. In compliance of the aforesaid judgment of apex Court, the GAD came up with the scheme of regularisation of daily-rated employee as permanent employee in three categories vide circular dated 7.10.2016. Circular dated 7.10.2016 is reproduced below :

“मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-1/2013/1/3

भोपाल दिनांक 07अक्टूबर, 2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :- कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए “स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना”।

राज्य शासन द्वारा नियमितीकरण से वंचित दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है :-

- 1.1 इन्हें ‘दैनिक वेतन भोगी’ के स्थान पर ‘स्थायी कर्मी’ की श्रेणी दी जावे।
- 1.2 इन्हें निम्नानुसार वेतनमान स्वीकृत किया जावे।

श्रेणी	वेतनमान
1	2
अकुशल	4000-80-7000
अर्द्धकुशल	4500-90-7500
कुशल	5000-100-8000

1.3 वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 01 सितम्बर, 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतनवृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जावेगा।

1.4 इस पर इन्हें मंहगाई भत्ता देय होगा। (वर्तमान 125 प्रतिशत)

1.5 कोई एरियर देय नहीं होगा।

1.6 यह वेतन निर्धारण 01 सितम्बर, 2016 की तिथि से होगा। आगामी वेतनवृद्धि सितम्बर, 2017 से देय होगी।

1.7 अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर 15 दिन प्रतिवर्ष के सेवाकाल के वेतन के आधार पर उपादान की पात्रता होगी। यह राशि अकुशल के लिए रु. 1,25,000/-, अर्द्धकुशल के लिए रु. 1,50,000/- एवं कुशल के लिए रु. 1,75,000/- तक सीमित होगी।

1.8 ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे, व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे।

दिनांक 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति/अनुमोदन उपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किये गये हैं उन्हें भी योजना की पात्रता होगी। दिनांक 01 सितम्बर 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा से पृथक किये गये अथवा सेवा छोड़ चुके दैनिक वेतन भोगियों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी। संविदा, अंशकालीन एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह योजना लागू नहीं है।

2. चतुर्थ श्रेणी के रिक्त नियमित पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति हेतु एक योजना बनाई गई है जो संलग्न परिशिष्ट-‘अ’ पर है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हता) नियम, 2013 के नियम-7 में वर्णित समूह-6 में चतुर्थ श्रेणी की चयन प्रक्रिया को एक वर्ष के लिए स्थगित की जाती है।

3. मान. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कतिपय विभागों द्वारा आदेश जारी किये गये हैं, उन्हें पूर्ववत् रखा जाए। जिन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा मान. उच्च न्यायालय में प्रकरण दायर किये गये हैं उन दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा संबंधित न्यायालयीन प्रकरण वापिस लिये जाने पर प्रस्तावित योजना का लाभ दिया जाए।

4. निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य जिन विभागों में दैनिक भोगी श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। राज्य शासन एक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा पर उस न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मजदूरी देने के लिए इस श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी स्थायी कर्मियों का पदनाम देते हुए वही वेतनमान एवं सुविधाएं देय होगी, जो उनके समकक्ष दैनिक वेतन भोगी की कंडिका-1.1 से 1.8 के अधीन निर्माण विभागों के स्थायी कर्मियों को देय होगी। तदनुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्यपालिका आदेश जारी किये जाएं।

5. मध्यप्रदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (सेवा की शर्त) नियम, 2013 जो कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किये गये हैं को निरस्त किया जाकर विभिन्न निर्माण उपरोक्त कंडिका-1.1 से 1.8 के अनुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज़ाए) अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अन्तर्गत इन निर्माण विभागों में कार्यरत श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किये जाएंगे व संबंधित विभाग औद्योगिक श्रमिक मानते हुए आदेश जारी किये जाएंगे व संबंधित विभाग के स्थायी कर्मियों का नियमन तदनुसार किया जाए।

6. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.के.वाष्णीय)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन”

7. In compliance of the aforesaid circular, vide order dated 16.1.2017, the petitioner has been classified as permanent skilled employee in the pay-scale of Rs.5,000-100-8000-. In this order, it is not mentioned as to whether he was classified as Class III or Class IV employee. After the classification, the issue came before the Department as to whether what would be the age of retirement of daily-rated employees who have been classified as permanent employee. Vide circular dated 9.11.2012 the State Government has decided the age of superannuation of Class III employee to be 60 years and Class IV employees to be 62 years. It is important to mention here that there is no difference in the age of superannuation in case of regular Class III & Class IV

employees of the State Government. Circular dated 9.11.2012 is reproduced below :

“मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक सी 5-1/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर, 2012
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:—दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम की अधिकतम आयु—सीमा का निर्धारण।

राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्य विशेष के संपादन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखे जाते हैं। ऐसे कार्यों की निरंतरता के आधार पर ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लंबी अवधि तक कार्य पर रहते हैं, किन्तु इनसे अधिकतम किस आयु तक कार्य लिया जाना है, इसके कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है।

2/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से काम लेने की अधिकतम आयु—सीमा क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष निर्धारित की जाए अर्थात् राज्य शासन के समस्त विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पदों पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों से अधिकतम क्रमशः 60 एवं 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही कार्य लिया जा सकेगा।

3/ उक्त प्रावधान यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग”

8. While deciding the age of retirement of Class III and Class IV daily rated employees, no reasonable classification has been disclosed in the above circular. It is well established that the classification should be based on some qualities or characteristics of group of persons together. Those qualities and characteristics must have a reasonable relation of the objection to be achieved. Vide above circular, a decision has been taken to have two different age of retirement for Class III and Class IV daily rated employees, whereas for regular Class III and Class IV employees, there is no difference in the age of retirement. Therefore, in this

circular, there is no basis behind classification of two different age of retirement of Class III and Class IV daily rated employees. However, circular dated 9.11.2012 was issued prior to framing of scheme of classification of daily rated employees vide circular dated 7.10.2016. In circular dated 7.10.2016, the age of superannuation of daily-rated employees who have been classified as “permanent employee” has not been decided. Even, circular dated 9.11.2012 has not been adopted. However, later on the State Government came up with the new circular dated 3.5.2017 in which the age of retirement of Class III and Class IV daily rated employees is 60 and 62 years respectively based on the circular dated 9.11.2012. Once the apex Court has held that all the daily-rated employees are entitled for classification as permanent employee and in the light of the said judgment, the State Government has issued the circular dated 7.10.2016 to classify the daily-rated employees as permanent employees and they have been classified only as unskilled, semi-skilled, and skilled. There is no category like Class III and Class IV permanent employee in the circular dated 7.10.2016, therefore, there is no basis to have two different age of retirement for Class III and Class IV daily-rated employee who have been classified as permanent employee. When the pay-scales are common for all the daily-rated employee who have been classified as permanent employee, then there should be common age of retirement i.e. 62 years for all of them. In the case of the present petitioner, vide order dated 16.1.2017, he has only been classified permanent employee as Timekeeper without specifying to be class III or IV. When there is no difference in age of retirement for the regular Class III and Class IV employees, then there should not be two different age of

superannuation for classified permanent employees. Hence, the petitioner is liable to continue up to the age of 62 years.

9. Consequently, this petition deserves to be and is hereby allowed and impugned order dated 5.1.2018 is hereby quashed. The respondents are directed to continue the petitioner in service up to 62 years of his age.

No order as to costs.

(VIVEK RUSIA)
JUDGE

Alok/-